



Neutral Citation No. - 2026:AHC:36425

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 15644 वर्ष 2024

किरण देवी

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याची के अधिवक्ता	: जनार्दन
प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता	: सी.एस.सी., नगेंद्र प्रताप सिंह

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

संदर्भ: सिविल प्रकरण प्रत्याहरण आवेदन संख्या - 5 वर्ष 2026

1. याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वर्तमान रिट याचिका को वापस लेने का निवेदन किया गया है, जिसमें निम्नलिखित प्रार्थनाएँ की गई थीं— (क) एक आदेश अथवा निर्देश, सर्टिफिकेट के स्वरूप में जारी कर आक्षेपित आदेश दिनांक 02.05.2024 (परिशिष्ट संख्या 1), जो प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा पारित किया गया है, को निरस्त किया जाए, जिससे न्याय हो सके; (ख) एक आदेश अथवा निर्देश, मंडामस के स्वरूप में जारी कर प्रत्यर्थी प्राधिकारी को निर्देशित/आदेशित किया जाए कि याची के पक्ष में पेंशन/सेवा संबंधी लाभ प्रदान किए जाएँ, जिससे न्याय हो सके; (ग) वाद की परिस्थितियों में इस माननीय न्यायालय द्वारा उपयुक्त एवं उचित समझा जाने वाला कोई अन्य आदेश अथवा निर्देश पारित किया जाए; तथा (घ) याची के पक्ष में वाद व्यय प्रदान किया जाए, इस स्वतंत्रता के साथ कि याची इस वाद को उस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सके, जिसे इस विषय में क्षेत्राधिकार प्राप्त हो।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा उक्त निवेदन पर कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की गई।
3. तदनुसार, प्रस्तुत प्रत्याहरण आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4. परिणामस्वरूप, वर्तमान रिट याचिका को उपर्युक्त स्वतंत्रता के साथ वापस लिया गया मानते हुए निरस्त किया जाता है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

दिनांक : 18 फरवरी 2026

राजेश

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”